

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

80

सहारनपुर नगर निगम सम्पत्ति अनुभाग

ई-निविदा

पत्रांक: 2144 / सम्प0अनु0 / न0नि0सहा0 / 2023-24

दिनांक : 05/06/2023

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 हेतु विज्ञापन ठेकों की ई-निविदा दिनांक 07.06.2023 को आमंत्रित को आमंत्रित की गयी थी, जिसमें शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुये उक्त तिथि के स्थान पर दिनांक 15.06.2023 को निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा किये जाने वाले यूनियोपल/बाईपोल का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 स0	जोन संख्य T	जोन का नाम	यूनियोपल की संख्या व साईज (24x12)	बाईपोल की संख्या व साईज (20x10)	प्रिमियम की राशि	विज्ञापन शुल्क की राशि	न्यूनतम ऑफर धनराशि(जी0ए स0टी0 सहित)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	होटल क्लार्क इन्टरनेशन से नौगजा पीर	11	08	94521	792055	886576	
			11	08				

नोट:-

- 1-निविदा में विज्ञापन आदि के अनुमती, जिन्होंने पहले किसी निगम में यूनियोपल/बाईपोल का कार्य किया हो, निविदा में भाग ले सकते हैं, यदि निविदा स्वीकृत होती है, तो उक्त फर्म/व्यक्ति को नगर निगम सहारनपुर के विज्ञापन अनुभाग में पंजीकरण कराना होगा।
- 2-ठेके से संबंधित सभी शर्तें सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढ़ी जा सकती हैं, व सूचना व शर्तें नगर निगम की वेबसाईट www.saharanpurnagarnigam.com व एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.saharanpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।
- 3- ठेका बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।
- 4- जिन ठेकेदारों द्वारा गत वर्षों के ठेके की समस्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा नहीं करायी गयी है, उनका ऑफर मान्य नहीं होगा, तथा जिन ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा डिफाल्टर घोषित/ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है, वह भी नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।
- 5- ऑनलाईन निविदा दिनांक 15.06.2023 को अपरान्ह 12:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम से तथा दिनांक 15.06.2023 को अपरान्ह 02:00 बजे तक कार्यालय में रखे टैण्डर बाक्स में अपनी टेक्निकल निविदा को डालें जाने एवम् तददिनांक को सायं 04:00 बजे निविदा गठित समिति एवं निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
- 6- टैण्डर शुल्क सभी ठेकों में अंकन 1298/- ₹0 (जी0एस0टी0 सहित) देय होगा।

प्रमारी विज्ञापन
नगर निगम सहारनपुर।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर।


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 05/06/2023 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रमारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कुतुबशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।
- 3-प्रमारी मीडिया, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार दो समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक विश्व वार्ता पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 4-रिकार्ड कीपर को नीलाम की व्यवस्था कराने हेतु।
- 5-नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

- वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 के लिये ठेका विज्ञापन ठेकों यूनिपोल/बाईपोल हेतु ई-निविदा हेतु शर्त
01. निविदा में विज्ञापन आदि के अनुभवी, जिन्होंने पहले किसी निकाय में यूनिपोल/बाईपोल का कार्य किया हो, निविदा में भाग ले सकते हैं, यदि निविदा स्वीकृत होती है, तो उक्त फर्म/व्यक्ति को नगर निगम सहारनपुर के विज्ञापन अनुभाग में पंजीकरण कराना होगा।
 02. विज्ञापन पट्ट की निविदा 02 वर्ष की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-2024 व 2024-25 हेतु आमंत्रित की जा रही है।
 03. पंजीकृत फर्म/संस्था को अपने खर्च पर नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर यूनिपोल/बाईपोल लगाने होंगे। अवधि पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार उक्त यूनिपोल/बाईपोल को हटा लेगा, अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी नगर आयुक्त की राय में होर्डिंग अथवा उसका स्थान आपत्तिजनक होने पर उसे हटाने के निर्देश दिये जा सकते हैं, जिसे ठेकेदार को 24 घण्टे के अन्दर हटाना होगा, ऐसा न करने पर ठेकेदार पर जुर्माना किया जा सकेगा। स्वीकृत यूनिपोल/बाईपोल की साईट को किसी अन्य स्थान पर निगम की अनुमति लेकर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
 04. ई-निविदा हेतु न्यूनतम वार्षिक ऑफर कॉलम संख्या 08 में अंकित है, जिसमें विज्ञापन शुल्क व प्रीमियम दोनों की धनराशि जी0एस0टी0 सहित है, उक्त कॉलम स0 08 में अंकित न्यूनतम ऑफर से कम का ऑफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। वार्षिक ऑफर की समस्त धनराशि जमा होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित होने के उपरान्त ही कायदेशि जारी किया जायेगा।
 05. वर्ष 2024-25 की ऑफर की धनराशि व निर्धारित मूल्य का स्टॉम्प अप्रैल 2024 में जमा करना होगा, यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता है, तो उस पर 2000/- ₹0 प्रतिदिन की दर से जुर्माना देय होगा, अप्रैल से पूर्व भी उक्त धनराशि ठेकेदार स्वेच्छा से जमा कर सकता है।
 06. ठेकेदार आवंटित जोन में अनाधिकृत विज्ञापन नहीं करेगा। निगम के निर्देश पर ठेकेदार को अपने जोन से अनाधिकृत विज्ञापन हटाने होंगे।
 07. किसी भी अवैध विज्ञापन को न लगने देने की जिम्मेदारी चयनित फर्म/व्यक्ति की होगी व अन्य कोई भी विज्ञापन लगा दिखा तो यह मानते हुये कि यह चयनित व्यक्ति/फर्म की मिलीभगत से लगाया गया है, तो सम्पूर्ण जमा धनराशि जब्त कर स्वीकृति निरस्त करते हुये फर्म/व्यक्ति को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जायेगा व अन्य कार्यवाही की जायेगी।
 08. ठेकेदार को निर्धारित साईज के विज्ञापन पट्ट ही लगाने होंगे, निर्धारित संख्या से अधिक विज्ञापन पट्ट मिलने पर अथवा बड़ा साईज मिलने पर ठेकेदार पर क्षतिपूर्ति सहित जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी, जो पचास हजार रुपये से कम न होगी। जिसके लिये सम्बन्धित ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
 09. समस्त विज्ञापन पट्ट इस प्रकार लगाये जायेंगे, कि वह आकर्षक लगें, एवं उनके कारण नगर की सुन्दरता में वृद्धि हो।
 10. जो भी कर/देयता भारत सरकार/राज्य सरकार या अन्य किसी भी बोर्ड की होगी, उसके भुगतान का उत्तरदायित्व फर्म/व्यक्ति का होगा।
 11. जनहित में नगर आयुक्त को किसी भी शर्त को परिवर्तित करने, संसोधित करने तथा नई शर्त आरोपित करने का अधिकार होगा।
 12. किसी भी विवाद की दशा में नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।
 13. ठेकेदार पर किसी भी तरह की बकाया धनराशि को बकाया भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार होगा।
 14. यदि ठेकेदार द्वारा कम धनराशि के मूल्य पर स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित कराया जाता है, तो किसी भी स्तर पर यह पता लगने पर अनुबन्ध में स्टाम्प की कमी है, तो उसके लिये केवल ठेकेदार उत्तरदायी होगा, और उसी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।


प्रभारी विज्ञापन
नगर निगम सहारनपुर


अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर